



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 8, 2018/फाल्गुन 17, 1939

No. 125]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 2018/PHALGUNA 17, 1939

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 213(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 398 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (दस्तावेजों एवं प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 के नियम 3, को उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाए और उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किए जाने के पश्चात् उसमें निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“(2) उपनियम (1) के अधीन अपने वित्तीय विवरण दायर करने वाली कंपनियां, उसमें विनिर्दिष्ट कंपनियों के अधीन न आने के बावजूद अनुवर्ती वर्षों में अपने वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज फाइल करतीं रहेगीं।

(3) कंपनियां जिन्होंने अपने वित्तीय विवरण तत्कालीन नियमों अर्थात् कंपनी (दस्तावेजों एवं प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 के अधीन दायर किए हैं उसमें विनिर्दिष्ट कंपनियों के अधीन न आने के बावजूद अपने वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रूप से फाइल करती रहेगीं।

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल-V]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः** मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 692(अ) तारीख 09 सितंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1480(अ) तारीख 04 दिसंबर, 2017 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8<sup>th</sup> March, 2018

**G.S.R. 213(E)** .— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 398 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015, rule 3, shall be numbered as sub-rule (1) of rule 3 and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(2) The companies which have filed their financial statements under sub-rule (1) shall continue to file their financial statements and other documents though they may not fall under the class of companies specified therein in succeeding years.

(3) The companies which have filed their financial statements under the erstwhile rules, namely the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2011, shall continue to file their financial statements and other documents as prescribed in sub-rule (1) though they do not fall under the class of companies specified therein.”.

[F. No. 1/19/2013 –CL V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.O. 692 (E), dated the 9<sup>th</sup> September, 2015 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1480 (E), dated the 4<sup>th</sup> December, 2017.